न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 22/2020 प्रा 0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

1. घमण्डी पुत्र छीतर
2. बलवान पुत्र रामकरण
3. रामजीलाल पुत्र रामकरण
4. हरेमन पुत्र रामकरण

समस्त जाति गुंर्जर निवासी पाडली तहसील दौसा जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय रावत पैलेस के पीछे, आगरा रोड दौसा जरिये परियोजना निदेशक

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5), 3 एच नेशनल हाईवे एक्ट

उपस्थित– 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा ग्राम पाडली के खसरा नंबर 561 व 562 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा से बिन्दुवार तत्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि वाके ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 561 रकबा 0.77है.मे से 0.3907 है० भूमि खसरा नंबर 562 रकबा 0.62है. में से 0.0674है0 भूमि एन. एच 148 एन के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गयी। उक्त भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि को अवाप्त की कार्यवाही करने पर प्रार्थीगण ने आपत्ति प्रस्तुत की और आपत्ति प्रस्तुत करके निवेदन किया कि उक्त प्रार्थीगण की भूमि चाही भूमि है तथा विगत 30 वर्षो से हम हमारे निजी चाह नंबर 524 व अन्य चाह व दो बोरवेल से सिचाई करके रबी व खरीब की फसल के साथ वर्ष मे 3 फसल करते चले आ रहे है तथा लंबे समय से विद्युत कनेक्शन करवा रखा है। उक्त भूमि की गिरदावरी रिपोर्ट मे भी हमारे द्वारा उगायी गयी फसल गेहू, चना, सरसो, जौ, बाजरा तिल आदि अकित है इसलिये सिंचित भूमि की दर से प्रार्थीगण का मुआवजा तय किया जाकर और प्रार्थी को दिलवाया जावे। ग्राम पाडली में सिचित भूमि की डी. एल. सी. दर 17,60,220/– रूपये प्रति हैक्टर है। उक्त प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मौके पर जाँच करवायी गयी तो जाँच में पाया कि उक्त भूमि से अवाप्त की गयी भूमि बारानी नही है बल्कि बारानी रिकार्ड में गलत दर्ज है मौके पर चाही है। और अप्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवाप्त की गयी भूमि का सिंचित की दर से मुआवजा तय किया तथा आदेश में भी उक्त भूमि को सिचिंत ही माना। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को सिंचित मानी और सिचित की डी एल सी 17,60,220/– रूपये प्रति हैक्टर होने के बावजूद भी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को 16,00,200/– रूपये प्रति हैक्टर की डी. एल.सी. मानकर कुल मुआवजा 18,75,287/– तय किया गया है। यानि जो मुआवजा तय किया गया है वो तत्समय की डी.एल.सी. दर 17,60,220/– रूपये प्रति हैक्टर होने के बावजूद भी 16,00,200/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से तय किया गया अर्थात 1,60,020/– रूपये प्रति है0 के हिसाब से मुआवजा कम तय किया गया। उक्त अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा 17,60,220/– रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से निर्धारित करवाकर उस हिसाब से जो रूपये बनते है वो तथा उक्त रूपये पर बाजार मूल्य का गुणक जोडकर सोरेसियस राशि उसी हिसाब से जोडकर और 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3 ए के तहत जोडकर जो कुल राशि बनी वह तय किया जाना जरूरी है। अवाप्ति के समय डी एल सी दर 17,60,220/– रूपये थी और इस दर से ही सिंचित भूमि का मुआवजा दिया गया है जिसका प्रमाण यह है कि अप्रार्थी ने खसरा नंबर 569, 570, 571 ग्राम पाडली मे से भी भूमि अवाप्त की है और उक्त अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा 17,60,220/– रूपये प्रति हैक्टर की डी एल सी दर मानकर तय किया गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ग्राम पाडली में अवाप्त के समय उक्त अवाप्त की गयी भूमि की डी एल सी दर 17,60,220/– रूपये प्रति हैक्टर थी और इसी दर से गणना करके मुआवजा दिया गया है किन्तु प्रार्थीगण को उक्त भूमि का मुआवजा कम दर से दिया गया है जो गलत है। उक्त संबध मे भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उन्होने प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि हमने आपकी भूमि का कुल मुआवजा 1875287/– रूपये तय कर दिया वह मुआवजा ही हम दे सकते है। इसलिये प्रार्थीगण की उक्त भूमि मे अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा डी एल सी दर 17,60,220/– रूपये से गणना करके उस हिसाब से जो पैसा बने वह पैसा एवं उसका 1.25 प्रतिशत गुणक तथा मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेसियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल जुडवाकर कुल राशि जो बने वह दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 561 रकबा 0.77है.मे से 0.3907 है० भूमि खसरा नंबर 562 रकबा 0.62है. में से 0.0674है0 भूमि एन. एच 148 एन के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा डी एल सी दर 17,60,220/– रूपये से गणना करके और उसका उसका 1.25 प्रतिशत गुणक करके जो राशि बने उसके बराकर सोलेसियम राशि जोडकर एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल जोडकर कुल राशि जो बने वह राशि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से' दिलवाने के आदेश फरमावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार भूमि का मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148एन के कि0मी0 170.8 से 210 कि0मी0 तक के भू–खण्ड के फोरलेनीकरण वास्ते केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.08.2018 को भारत के राजपत्र में भूमि अवाप्ति वास्ते 3ए की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 561 रकबा 0.77 है0 में से 0.3907 हे0 व आराजी खसरा नं. 562 रकबा 0.62 हे0 में से 0.0674 हे0 किस्म बारानी 2 भूमि अवाप्ति वास्ते अधिसूचना जारी की गयी। अधिसूचना का प्रकाशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.2018 को राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत में प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अवाप्तशुदा भूमि में हितबद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा उसी की उपधारा 1 के तहत सक्षम प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी दौसा को स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियो पर सुनवाई का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

देगा तथा ऐसे सभी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् व जाँच करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आपत्ति स्वीकार या अस्वीकार करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 3सी (2) के तहत अंतिम होगा। प्रार्थीगण द्वारा 3ए अधिसूचना के 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार को 3डी की अधिसूचना वास्ते रिपोर्ट भेजी गई। दिनांक 29.11.2018 को केन्द्र सरकार द्वारा 3डी अधिसूचना जारी की गई जिसमें केन्द्र सरकार स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित होकर केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 561 रकबा 0. 77 है0 में सं 0.3907 है० व आराजी खसरा नं. 562 रकबा 0.62 है. में से 0.0674 है0 के अवाप्तशुदा रकबा की मुआवजा राशि निर्धारण उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर संबंधित मुआवजा राशि का निर्धारण राजस्थान सरकार के प्रभावी बेसिक शिड्यूलि ऑफ रेट व मार्केट रेट(वर्तमान बाजार दर) के आधार पर किया जाकर मुआवजा निर्धारण किया गया। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 561 रकबा 0.77 है0 में से 0.3907 है0 की मुआवजा राशि बारानी 2 के स्थान पर सिंचित मानते हुये (बाजार दर प्रति है0 1600200/–रूपये के हिसाब से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य 625198 /– रूपये व उस पर बाजार मूल्य 1.25 से गुणक करते हुये गुणन कारक के साथ सर्वेक्षण संख्या का बाजार मूल्य 781498/– रूपये, उक्त मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेसियम 781498/– रूपये, 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 36381/– रूपये, व खसरा नं. 562 रकबा 0.62 हे0 में से 0.0674 है० की मुआवजा राशि किस्म सिंचित मानते हुये (बाजार दर प्रति है0 1600200/–रूपये के हिसाब से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य) 107853 /– रूपये व उस पर बाजार मूल्य 1.25 से गुणक करते हुये गुणन कारक के साथ सर्वेक्षण संख्या का बाजार मूल्य 134817/– रूपये उक्त मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेसियम 134817 /– रूपये, 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 6276/– रूपये इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 275910/– रूपये की मुआवजा राशि का निर्धारण अवाप्त भूमि की किस्म सिंचित के आधार पर तय किया गया। प्रार्थीगण ने नितान्तं ही गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त अवार्ड आदेश की पालना में मिन अंप्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुआवजा राशि जमा करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अब अन्य कोई मुआवजा राशि मनगढन्त आधारों पर प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पोत परिवहन, सडक परिवजन और राजमार्ग मंत्रालय, सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग) केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन भारतमाला परियोजना दिल्ली से वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण करने हेतु भूमि अवाप्ति करने वास्ते भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई जिसमें राजस्थान राज्य के दौसा जिले में एनएच 148एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी.तक के भू–खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) के लिए एवम चौडा करने के उद्येश्य से [illegible] उपखण्ड अधिकारी जिसे कि सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया उपखण्ड अधिकारी दौसा को भूमि अर्जन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A की उपधारा 1 के तहत एनएच 148एन के 170.8 कि०मि० से 210 कि०मि० तक के भू–खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) तक के भूखण्ड को चौड़ा करने फौर लेन कर

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसका अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचारण के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3। के तहत अधिसूचना दिनांक 21.08.2018 को जारी की तथा इस अधिसूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3। के तहत भारत के राजपत्र मे प्रकाशन किया गया जिसे राजस्थान राज्य मे अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रो राजस्थान- पत्रिका व राष्ट्रदूत मे दिनांक 09.09.2018 को प्रकाशित कराया। उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ प्रभावित क्षेत्रो के ग्राम पंचायत, पटवार हल्का व तहसील कार्यालय उपखण्ड कार्यालयो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन मे इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्ध पक्षकार जिसका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि मे हित है। धारा 3A के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र जारी की गई मे इस तथ्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। प्रार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना के परीपेक्ष्य मे जो आपत्तियां की गई उनका धारा 3सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई जिसके आधार पर दिनांक 29.11.2018 को सडक परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र मे अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख है कि इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। धारा 3जी के तहत अवाप्त शुदा भूमि का मूल्य एवम निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) मे दिये गये निर्देशो की पालना मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी एल सी दर के आधार पर किया गया। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित अवार्ड आदेश की पालना में मिन अप्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दी गई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भूमि अवाप्ति एवं अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की पालना में मुआवाजा राशि जमा करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मिन अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

7. विवादित खसरा नंबर जिनके मुआवजे के संबंध में अनुतोष चाहा गया है वह इस प्रकार है:-

- खसरा नंबर 561 ग्राम पाडली रकबा 0.77है. में से 0.3907है.

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested

- खसरा नंबर 562 रकबा 0.62है. में से 0.0067है.

8. मुख्य विवाद के बिन्दु इस प्रकार है:–
   - उक्त भूमि चाही भूमि है एवं ना कि बारानी है।
   - उक्त भूमि की डीएलसी दर 1760220/–रू0 प्रति हैक्टेयर है एवं ना कि 16,00,200/–रू0 प्रति है0।
9. जहॉ तक भूमि के चाही होने के संबंध में विवाद है तो इस संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का अवलोकन किया गया एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की प्रकृति को सिंचित मानते हुए ही अवार्ड पारित किया गया है।
10. जहॉ तक प्रार्थी द्वारा डीएलसी दर के संबंध में आग्रह किया है एवं कथन किया है कि खसरा नंबर 569, 570, 571 ग्राम पाडली की डीएलसी दर को 17,60,220 रू0 प्रति है0 की डीएलसी मानकर मुआवजा तय किया गया है तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में एक अहम बिन्दु को नजरअंदाज किया है कि खसरा नंबर 561 एवं 562 "हाईवे से 500 मीटर से दूरी पर स्थित डामरीकृत सडक से दूर" की भूमि की श्रेणी में आती है वहीं खसरा नंबर 569, 570, 571 " हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर डामरीकृत सडक के पास " की भूमि की श्रेणी में आते है। अतः प्रार्थी की भूमि डामरीकृत सडक से दूर स्थित है इसलिए उसकी डीएलसी भिन्न है। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है कि विवादित खसरे "हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर डामरीकृत सडक के पास " की श्रेणी में आयेंगे।
11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अवार्ड आदेश जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 561 व 562 वाके ग्राम पाडली पर पारित किया गया है को यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested